

**CHAPTER - IX
MISCELLANEOUS**

Section 21 : Application of provisions of Central Goods and Services Tax Act

Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the provisions of the Central Goods and Services Tax Act, relating to,-

- (i) scope of supply;
- ¹(ii) composition levy;
- (iii) composite supply and mixed supply;
- (iv) time and value of supply;
- ²(v) input tax credit;
- (vi) registration;
- ³(vii) tax invoice, credit and debit notes;
- (viii) accounts and records;
- (ix) returns;
- (x) payment of tax;
- (xi) tax deduction at source;
- (xii) collection of tax at source;
- (xiii) assessment;

1 It is clarified by UTGST (Removal of Difficulties) Order, 209 [Order No. 1/2019 – Union Territory Tax], dt. 01-02-2019:

It is hereby clarify that the value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account-

- (i) For determining the eligibility for composition scheme under second proviso to sub-section (1) of section 10 of the said Act;
- (ii) In computing aggregate turnover in order to determine eligibility for composition scheme.

2 It is clarified by UTGST (3rd Removal of Difficulties) Order, 209 [Order No. 3/2019 – Union Territory Tax], dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019:

It is hereby clarified that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the said Act, the amount of credit attributable to the taxable supplies including zero rated supplies and exempt supplies shall be determined on the basis of the area of the construction of the complex, building, civil structure or a part thereof, which is taxable and the area which is exempt.

3 It is clarified by UTGST (2nd Removal of Difficulties) Order, 209 [Order No. 2/2019 – Union Territory Tax], dt. 08-03-2019:

It is hereby clarified that provisions of clause (c) of sub-section (3) of section 31 of the said Act read with clause (vii) of section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) shall apply to a person paying tax under Notification No. 2/2019-Union Territory Tax (Rate), dt. 07-03-2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. No. 191 (E), dt. The 7th March, 2019.

Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017

- (xiv) refunds;
- (xv) audit;
- (xvi) inspection, search, seizure and arrest;
- (xvii) demands and recovery;
- (xviii) liability to pay in certain cases;
- (xix) advance ruling;
- (xx) appeals and revision;
- (xxi) presumption as to documents;
- (xxii) offences and penalties;
- (xxiii) job work;
- (xxiv) electronic commerce;
- (xxv) settlement of funds;
- (xxvi) transitional provisions; and
- (xxvii) miscellaneous provisions including the provisions relating to the imposition of interest and penalty,
shall, mutatis mutandis, apply,-
 - (a) so far as may be, in relation to Union territory tax as they apply in relation to central tax as if they were enacted under this Act;
 - (b) subject to the following modifications and alterations which the Central Government considers necessary and desirable to adapt those provisions to the circumstances, namely:-
 - (i) references to "this Act" shall be deemed to be references to "the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017";
 - (ii) references to "Commissioner" shall be deemed to be references to "Commissioner" of Union territory tax as defined in clause (2) of section 2 of this Act;
 - (iii) references to "officers of central tax" shall be deemed to be references to "officers of Union territory tax";
 - (iv) references to "central tax" shall be deemed to be references to "Union territory tax" and vice versa;
 - (v) references to "Commissioner of State tax or Commissioner of Union territory tax" shall be deemed to be references to "Commissioner of central tax";
 - (vi) references to "State Goods and Services tax Act or Union Territory Goods and Services Tax Act" shall be deemed to be references to "Central Goods and Services Tax Act";
 - (vii) references to "State tax or Union territory tax" shall be deemed to be references to "central tax".

अध्याय 9 प्रकीर्ण

धारा 21 : केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों का लागू होना

इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित से संबंधित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंध,—

- (i) प्रदाय की परिधि;
- ¹(ii) सम्मिश्रण उद्ग्रहण;
- (iii) संयुक्त प्रदाय और मिश्रित प्रदाय;
- (iv) प्रदाय का समय और मूल्य;
- ²(v) इनपुट कर प्रत्यय;
- (vi) रजिस्ट्रीकरण;
- ³(vii) कर बीजक, प्रत्यय और नामे नोट;
- (viii) लेखा और अभिलेख;
- (ix) विवरणियां;
- (x) कर का संदाय;
- (xi) स्रोत पर काटा गया कर;
- (xii) स्रोत पर कर संग्रहण;
- (xiii) निर्धारण;

1 संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर (कठिनाईयों का निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 1/2019—संघ राज्य क्षेत्र कर] दिनांक 01.02.2019 द्वारा निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है :

यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा —

- (i) धारा 10 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में;
- (ii) कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में उसके सकल व्यापारवर्त की गणना करने में।

2 संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर (कठिनाईयों का तीसरा निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 3/2019—संघ राज्य क्षेत्र कर] दिनांक 29.03.2019 (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019) द्वारा निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है :

कठिनाईयों के निवारण के लिए एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, जिनपर कर लगता हो, जिनमें कि जीरो रेटेड आपूर्तियां और छूट प्राप्त आपूर्तियां भी आती हैं, से संबंधित क्रेडिट राशि का निर्धारण उस कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर के या उसके हिस्से के निर्माण के क्षेत्रफल पर आधारित होगा जो कि कर योग्य है और छूट प्राप्त है।

3 संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर (कठिनाईयों का द्वितीय निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 2/2019—संघ राज्य क्षेत्र कर] दिनांक 08.03.2019 द्वारा निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है :

कठिनाईयों के निवारण के लिए, एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के खंड (vii) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के उपवाक्य (ग) प्रावधान उसी व्यक्ति पर लागू होंगे जो कि अधिसूचना संख्या 2/2019—संघ राज्यक्षेत्र की (दर), दिनांक 07.03.2019, जिसे सा.क.नि. संख्या 191 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो।

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

- (xiv) प्रतिदाय;
- (xv) संपरीक्षा;
- (xvi) निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी;
- (xvii) मांग और वसूली;
- (xviii) कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व;
- (xix) अग्रिम विनिर्णय;
- (xx) अपील और पुनरीक्षण;
- (xxi) दस्तावेजों के बारे में उपधारणा;
- (xxii) अपराध और शास्तियां;
- (xxiii) छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार;
- (xxiv) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य;
- (xxv) निधियों का परिनिर्धारण;
- (xxvi) संक्रमणकालीन उपबन्ध; और
- (xxvii) प्रकीर्ण उपबंध, जिनके अंतर्गत ब्याज और शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंधित भी है,

यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित,—

- (क) जहां तक हो सके, संघ राज्यक्षेत्र कर के संबंध में, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे केन्द्रीय कर के संबंध में इस प्रकार लागू होते हैं, मानो वे इस अधिनियम के अधीन अधिनियमित किए गए हों;
- (ख) निम्नलिखित ऐसे उपांतरणों और परिवर्तनों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार परिस्थितियों के अनुसार उन उपबन्धों को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक और वांछनीय समझती है, अर्थात् :
 - (i) "इस अधिनियम" के प्रति निर्देश, "संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;
 - (ii) "आयुक्त" के प्रति निर्देश इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (2) में यथापरिभाषित संघ राज्यक्षेत्र का "आयुक्त" के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;
 - (iii) "केन्द्रीय कर अधिकारियों" के प्रति निर्देश "संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारी" के प्रति निर्देश समझा जाएगा;
 - (iv) "केन्द्रीय कर" के प्रति निर्देश "संघ राज्यक्षेत्र" और विपर्ययेन के प्रति निर्देश समझा जाएगा;
 - (v) "राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त" के प्रति निर्देश "केन्द्रीय कर आयुक्त" के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;
 - (vi) "राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम" के प्रति निर्देश "केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम" के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;
 - (vii) "राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर" के प्रति निर्देश "केन्द्रीय कर" के प्रति निर्देश समझे जाएंगे।